

डिक्री व मुकदमें इत्याई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चन्द्रा वनाम अर्जुनलाल

दावा बाबत - 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 164/2021  
पेश करने की दिनांक - 14.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 234 के खसरा नम्बर 226/1 रकबा 0.038, 185/1 रकबा 0.10 पर वादी को, खसरा नम्बर 185/2 रकबा 0.26, 179/0.0160, 187/0.0070, 188/0.13, 189/0.11, 191/0.18, 192/0.35, 1940/927 रकबा 0.01 व 926/2 रकबा 0.4520 पर खाता संख्या 234 के अन्य समस्त खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खाता संख्या 231 खसरा नम्बर 1357/1 रकबा 0.0047 पर वादी को खसरा नम्बर 1357/2 रकबा 0.1653 पर खाता संख्या 231 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 613/0.04 व 1356/0.01 शामिल रहेगा। खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 0.04, 1664/1 रकबा 0.4, 1665/1 रकबा 0.09 पर वादी को खसरा नम्बर 1663/2 रकबा 0.11, 1664/2 रकबा 0.10, 1665/2 रकबा 0.30 का खातेदार खाता संख्या 100 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.03 पूर्व अनुसार शामिल रहेगा। खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 134/0.073, 135/0.167, 136/0.120, 137/0.220, 761/0.150, 763/0.270, 764/0.240, 765/0.140 पर वादी को, खसरा नम्बर 1295/0.02, 1296/0.07, 1330/0.07, 1331/0.06, 1337/0.09, 1338/0.11, 1339/0.07, 1344/0.31, 1344/2071 रकबा 0.03, 1347/0.31, 1366/0.23, 1367/0.07, 1488/0.31, 1491/0.45, 165/0.02, 1651/0.08, 166/0.09, 167/0.10, 168/0.09, 169/0.15, 170/0.068, 171/0.15, 172/0.13, 173/0.11, 174/0.11, 175/0.09, 593/0.44, 594/0.09, 742/0.01, 760/0.14, पर खाता संख्या 99 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 96, 97, 104 व 232 पूर्व अनुसार शामिल रहेगा। खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 1642/1 रकबा 0.02 पर वादी को खसरा नम्बर 1642/2 रकबा 0.05, 1643 रकबा 0.08 पर खाता संख्या 102 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.07 पर वादी को खसरा नम्बर 1652/2 रकबा 0.04, 1653 रकबा 0.23, 1782 रकबा 0.22 पर खाता संख्या 103 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 101 के खसरा नम्बर 662/1 रकबा 0.03 पर वादी को खसरा नम्बर 662/2 रकबा 0.24 पर खाता संख्या 101 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 233 के खसरा नम्बर 1355/1 रकबा 0.12 पर वादी को खसरा नम्बर 1355/2 रकबा 2.10 पर खाता संख्या 233 के शेष खातेदार (वादी के अतिरिक्त) को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

-जारी 2

नोट:- अधिकारिण 22.6.23 को सुनाने दिशि  
श. नं 226/1 के खासरा नं. 926/1  
रखेगोएक किया  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)



अख्त में इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक  
अदा करे।  
अख्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 6 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

3  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

